उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(सिन न0–UP32201UP1999SGC024928)

संख्या:I/9950/2025-पें0एवंआर0-28/पाकालि/25, दिनांक 30-04-2025

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से महँगाई राहत की 02 प्रतिशत की एक और किश्त अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/ 2025/सा-3-154/दस-2025/301/2000 टी0सी0, दिनांक 24 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोतरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	महँगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महँगाई राहत की देय किश्त की दर	महँगाई राहत की देय कुल दर (मासिक)
1.	**01 जनवरी, 2025**	**02 प्रतिशत**	**55 प्रतिशत**

2- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

3- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू0सी0/रा0वि0प0(औ0सं0/उन्नीस)-14(23) एफ/85, दिनांक 16 जून, 1988 में निहित प्रावधानिानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

5- महँगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(श्री कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या:I/9950/2025पें0एवंआर0-28/पाकालि/2025, तददिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/ केस्को-कानपुर/ट्रान्सको-लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षणअभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
7. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

30/4/25

(राजकपूर)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)